one entailed extra expenditure of Rs. 1 crore.

No tenders were invited as the system was not prevalent in the former units, namely, Ganesh Flour Mills and Amritsar Oil Works. HVOC was incorporated as a public sector undertaking with the above two companies in April, 1984. It took sometime to revise the practices and the tenders were first time issued in May, 1985.

By the time, the incident came to light, concrened officers had retired from the Undertaking.

Revamped PDS in Andhra Pradesh

1454. DR. NARREDDY THULASI REDDY : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) what major decisions have so far been taken under the revamped Public Distribution System and by when it is likely to come into force;

(b) the details of the work in Andhra Pradesh identified under the scheme;

(c) whether this scheme is under implementation in these identified works in Andhra Pradesh; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI KAMALUDDIN AHMED) : (a) to (d) Government decided to revamp the Public Distribution System (PDS) to improve its reach in far-flung, hilly, remote, tribal areas and in consultation with the State Governments. About 1700 blocks covered by various area specific programmes including in Andhra Pradesh were identified in the country. State Governments were asked to implement decisions regarding opening of fair price shops, issue additional ration cards to population left uncovered, eliminate bogus ration cards in the States, arrange for door-step delivery of PDS items, set up Village|FPS level Advisory|Vigilance Committees, create additional storage space for stocking of foodgrains and for distribution of items of mass consumption such as pulses, iodised salt, tea, washing soap through PDS outlets. As per reports received, the Government of Andhra Pradesh has opened 362 additional fair price shops in the Revamped PDS areas of the State and issued 48964 ration cards to families who were without such cards. More than 1 lakh bogus cards were eliminated in the State. Arrangements have been made for door-step delivery of the PDS items to the FPSs and setting up of Vigilance|Advisory Committees at different levels. Additional items of mass consumption such as Nivedan tea, iodised salt, washing soaps, text books, janata sarees, dhotis and other items are being distributed using PDS outlets in tribal areas.

बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए नए योजना प्रस्ताव

1455. चौधरी हरमोहन सिंह :—क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उचित दर की दुकानों, इन दुकानों पर वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति तथा आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति पर और अधिक जोर देने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां तो गत वर्ष के दौरान राज्यों में किए गए कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए संचलनात्मक जिम्मेदारी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्रों की होती है। उचित दर

की दुकानें खोलने, वस्तुओं का अलग-अलग जिलों में आबंटन करने तथा राशन कार्ड जारी करने के लिए पात्रता का मापदण्ड तय करने का कार्य राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत विभिन्न क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रमों के अन्तर्गत लगभग 1700 ब्लॉकों की पहचान की गई है ताकि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति और उपलभ्यता में सुधार लाया जा सके। केन्द्र सरकार ने केवल संपुष्ट सार्वजनकि वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरण के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख मी. टन मात्रा निर्धारित की है जो कि राज्यों द्वारा इन क्षेत्रों को पहले से की जा रही आपूर्ति में निवल वृद्धि है। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों का मूल्य सामान्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों के लिए जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य से 50 रु. प्रति क्विंटल कम है। 31-3-93 तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 10433 उचित दर दुकानें खोले जाने, 25 लाख से अधिक राशन कार्ड जारी किए जाने और 90 लाख से अधिक जाली राशन कार्ड रद्द किए जाने की सूचना है। उनके द्वारा यथा सूचित राज्य वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

31-3-93 तक बताई गई स्थिति के अनुसार, खोली गई अतिरिक्त राशन की दुकानों, जारी किए गए अतिरिक्त राशन-कार्डों तथा रद्द किए गए जाली कार्डों का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य	अतिरिक्त उ.द.द. प्रस्तावित	खोली गई	अतिरिक्त प्रस्तावित	राशन कार्ड जारी किए गए	रद्द किए गए जाली कार्ड
1	2	3	4	5	6	
	आंध्र प्रदेश	316	362	शून्य	133756	90238
	अरूणाचल प्रदेश	155	141	18 310	7061	9298
	असम	311	312	362578	12973	72506
	बिहार	1090	1050	296885	296885	679209
	गुजरात	97	274	शून्य	936647	385764
	हरियाणा	387	432	शून्य	शून्य	20000
	हिमाचल प्रदेश	4	5	शून्य	594	16300
	जम्मू व कश्मीर	123	123	21900	शून्य	शून्य
	कर्नाटक	403	567	634199	500395	96103
	केरल	शून्य	3	शून्य	शून्य	12122
	मध्य प्रदेश	1274	1276	476930	527000	697843

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	2588	2624	350000	400000	1200000
मणिपुर	24	41	54449	65890	शून्य
मेघालय	16	48	193000	1115	33
मिजोरम	23	99	3288	5058	4637
नागालैण्ड	20	24	30000	शून्य	शून्य
उड़ीसा	608	887	शून्य	17871	8608
राजस्थान	718	910	106667	326463	14030
सिक्किम	400	2	शून्य	30000	207
तमिलनाडु	11	19	3000	39447	397253
त्रिपुरा	25	32	शून्य	17995	80
उत्तर प्रदेश	1141	1141	76255	80305	5560000
पश्चिम बंगाल	826	35	47437	15060	34829
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	12	18	शून्य	369	4407
दादरा तथा नगर हवेली	2	6	1000	1015	45
दमन व दीव	3	1	शून्य	शून्य	शून्य
लक्षद्वीप	5	1	शून्य	शून्य	शून्य
योग :	10580	10433	2675898	2562899	9303485

उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों में शिकायतें

1456 **श्री कामेश्वर पासवान** :—क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि एल. पी. जी. वितरक द्वारा गैस का चूल्हा उसके यहां से खरीदने के लिए बाध्य करने संबंधी शिकायतें उपभोक्ता संरक्षण केन्द्र में दर्ज नहीं कराई जा सकती क्योंकि शिकायतकर्ता को तब तक उपभोक्ता नहीं माना जाता जब तक कि वह गैस का चूल्हा नहीं खरीदता ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सार्वजनिक हित में ऐसी खामियों को दूर करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ऐसे गैस वितरकों के विरुद्ध उपभोक्ता किस अधिकारी के पास अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार राज्यों में कार्यरत उपभोक्ता संरक्षण केन्द्रों द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज नहीं करने और उनके द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने के विरुद्ध दिशा-निर्देश जारी कर सकती है; और